

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

फॉरमाल :- प्र०(१) कार्मिक / नि.चि. / ३१/०७/१९७६

दिनांक :- २४/९/७

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विरतार करते हुये बसल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, १७, जनकपुरी-१, इमली फाटक, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर १० प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव भृत्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

१. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/H राज0आ0म0.जयपुर।
२. च०नि०स०-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी राज0आ०मण्डल.जयपुर।
३. अति० मुख्य अभियंता राज0आ०मण्डल.जयपुर/जोधपुर।
४. उप आवासन आयुक्त वृत्त रा०आ०म0.....।
५. आवासीय अभियंता खण्ड रा०आ०म0.....।
६. बसल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, १७ जनकपुरी-१, इमली फाटक, जयपुर।
७. समर्त प्रकाश मुख्यालय राज0आ०मण्डल.जयपुर।
८. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्राबली।

सचिव भृत्य